[2020] 13 एस. सी. आर 783

/

ऐक्शन आई. एस. पी. ए. टी. और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। (2020 की सिविल अपील संख्या 4041)

/

15 दिसंबर, 2020

**[**रोहिंटन फाली नरीमन**,** के**.** एम**.** जोसेफ और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

कंपनी अधिनियम, 2013:s.434 (1) (c), पाँचवाँ परंतुक;s.290-कंपनी न्यायालय से एन. सी. एल. टी. को समापन कार्यवाही का हस्तांतरण-समापन याचिका के प्रवेश के बाद के चरण में अनुमति-आयोजितःएक समापन कार्यवाही में जहां आर के संदर्भ में याचिका की तामील नहीं की गई है।26 नियम, 1959 के पूर्व-प्रवेश चरण में, संहिता के आवेदन के लाभकारी परिणाम को देखते हुए, इस तरह की समापन कार्यवाही अनिवार्य रूप से एन. सी. एल. टी. को संहिता के अंतर्गत हल करने के लिए हस्तांतरणीय है-नोटिस जारी होने और प्रवेश से पहले भी, वही परिणाम सामने आएगा-हालांकि, समापन याचिका के प्रवेश के बाद और कंपनी की परिसंपत्तियों को समाप्त करने के बाद कंपनी परिसमापक द्वारा जब्त कर लिया जाता है।अधिनियम, 2013 के s.290 से यह अभिलेख मिलता है कि कंपनी परिसमापक कंपनी के लाभकारी समापन के लिए, जहां तक आवश्यक हो, कंपनी का व्यवसाय जारी रख सकता है, और यहां तक कि कंपनी को एक चालू संस्था के रूप में भी बेच सकता है-जब तक कि अचल या चल संपत्तियों की कोई वास्तविक बिक्री नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं किया जाता है जो कंपनी न्यायालय को किसी लेनदार या किसी भी पक्ष द्वारा कार्यवाही में किए गए हस्तांतरण आवेदन पर अपने हाथों को रोकने की गारंटी देता है-यह केवल वहीं है जहां समापन की कार्यवाही एक ऐसे चरण में पहुंच गई है जहां यह अपरिवर्तनीय होगी, जिससे घड़ी को वापस करना असंभव हो जाता है कि कंपनी न्यायालय को एनसीएलटी को कार्यवाही स्थानांतरित करने के बजाय समापन के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

/

/

/

/

/

/

783 ए.

784 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 13 एस. सी. आर.

5 वें परंतुक द्वारा इसमें निहित विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया।434(1)(ग) और समापन याचिका को एन. सी. एल. टी.-कंपनी (लंबित कार्यवाही का हस्तांतरण) नियम, 2016-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-में स्थानांतरित कर दिया।धारा 7-कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 -आर. 26.

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया **:1.** जहां तक समापन कार्यवाही के हस्तांतरण का संबंध है**,** संहिता ने कंपनियों के समापन से संबंधित कार्यवाही को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित स्तर पर एन**.** सी**.** एल**.** टी**.** को हस्तांतरित करने के लिए अस्थायी रूप से शुरू किया।यह स्थानांतरण नियम**,** **2016** द्वारा किया गया था जो **15.12.2016** से लागू हुआ था।नियम **5** और **6** में तीन प्रकार की कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है।केवल वे कार्यवाहियाँ जो समापन याचिका के नोटिस की पूर्व**-**सेवा के चरण में हैं**,** अनिवार्य रूप से एन**.** सी**.** एल**.** टी**.** को हस्तांतरित की जाती हैं। इसलिए परिणाम यह हुआ कि नोटिस के बाद और समापन याचिकाओं के पूर्व प्रवेश**,** दोनों कानूनों के अंतर्गत समानांतर कार्यवाही जारी रहेगी**,** जिससे सबसे असंतोषजनक स्थिति पैदा होगी।इसके कारण धारा **434 (1) (**सी**)** में पांचवें परंतुक की शुरूआत हुई**,** जो जैसा कि ***** कैलेडोनिया में सही ढंग से बताया गया है**,** समापन कार्यवाही के किसी विशेष चरण तक सीमित नहीं है।इसलिए**,** विधि के मामले के रूप में जो आगे आता है वह यह है कि एक समापन याचिका के स्वीकार होने के बाद भी**,** और एक कंपनी की परिसंपत्तियों को लेने के लिए एक कंपनी परिसमापक की नियुक्ति के बाद**,** ऐसी याचिका को एन**.** सी**.** एल**.** टी**.** को स्थानांतरित करने का विवेकाधिकार कंपनी न्यायालय में निहित है। **[**पैरा **11] [804-**ए**-**ई**]**

/

/

/

*मेसर्स कैलेडोनिया जूट एंड फाइबर प्राइवेट लिमिटेड बनाममेसर्स एक्सिस निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन

/

एससी **943-**पर निर्भर

**2.** जब किसी कंपनी को बंद करने की याचिका न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाती है**,** तो न्यायाधिकरण को धारा **273** के अंतर्गत इसे खारिज करने की शक्ति दी जाती है**;** कोई भी अंतरिम आदेश देने के लिए जो वह उचित समझता है**;** कंपनी को बंद करने का आदेश देने तक कंपनी के अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति करने के लिए**;** कंपनी को बंद करने के लिए आदेश देने के लिए**;** या कोई अन्य आदेश पारित करने के लिए जो वह उचित समझता है।एक बार जब समापन आदेश दिया जाता है**,** और एक कंपनी परिसमापक नियुक्त किया जाता है**,** तो ऐसा परिसमापक ए

/

/

785

ऐक्शन आई. एस. पी. ए. टी. और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड।

इसके बाद धारा **281** के अंतर्गत न्यायाधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।इसके बाद न्यायाधिकरण को उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करना है और एक समय सीमा तय करनी है जिसके भीतर कार्यवाही पूरी की जाएगी और कंपनी को भंग कर दिया जाएगा।न्यायाधिकरण के आदेश पर कंपनी की संपत्तियों को कंपनी परिसमापक द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा और धारा **283 (1)** और **283 (2)** देखें।इसके बाद**,** न्यायाधिकरण को धारा **285** के अंतर्गत अंशदाताओं की एक सूची का निपटारा करना है।कंपनी परिसमापक को तब समापन कार्यवाही की प्रगति के संबंध में न्यायाधिकरण को आवधिक रिपोर्ट देनी होती है।**[**अनुच्छेद **12,14-17] [804-F-G; 805-C-D; 807-A-C]3.** धारा **292** अंतर्गत कंपनी अधिनियम**, 2013** के प्रावधानों के अधीन**,** कंपनी परिसमापक**,** कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रशासन और अपने लेनदारों के बीच उनके वितरण में**,** किसी भी निर्देश को ध्यान में रखेगा जो किसी भी आम बैठक में लेनदारों या अंशदाताओं के संकल्प द्वारा दिया जा सकता है।यह तभी होता है जब कंपनी के कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं कि धारा **303** के अंतर्गत कंपनी को भंग करने के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन किया जाता है।**[**पारस **19,20] [809-ई-**जी**]**

/

/

/

**4.** कंपनी अधिनियम**, 2013** के अध्याय **XX** के अंतर्गत समाप्त करने की उपरोक्त योजना को देखते हुए**,** यह स्पष्ट है कि कई चरणों पर विचार किया गया है**,** जिसमें न्यायाधिकरण ने समापन याचिका में कार्यवाही को नियंत्रित करने की शक्ति को स्वीकार करने के बाद भी

बरकरार रखा है।इस प्रकार, एक समापन कार्यवाही में जहां याचिका को कंपनी (न्यायालय) नियम, **1959** के नियम **26** के संदर्भ में पूर्व-प्रवेश चरण में लागू नहीं किया गया है, संहिता के आवेदन के लाभकारी परिणाम को देखते हुए, ऐसी समापन कार्यवाही अनिवार्य रूप से संहिता के अंतर्गत हल करने के लिए एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित की जा सकती है। नोटिस जारी होने और प्रवेश से पहले भी वही परिणाम सामने आएगा।हालांकि, एक समापन याचिका को स्वीकार करने के बाद और कंपनी की परिसंपत्तियों को बंद करने के बाद और कंपनी परिसमापक द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद, कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **290** से संकेत मिलता है कि कंपनी परिसमापक कंपनी के लाभकारी समापन के लिए, जहां तक आवश्यक हो, कंपनी का व्यवसाय कर सकता है, और यहां तक कि कंपनी को बेचने के लिए भी जा सकता है।

/

/

/

/



/

चिंता की बात।जब तक अचल या चल संपत्तियों की कोई वास्तविक बिक्री नहीं हुई है, तब तक ऐसा कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं किया जाता है जो कंपनी न्यायालय को किसी लेनदार या कार्यवाही के किसी भी पक्ष द्वारा उसे किए गए हस्तांतरण आवेदन पर अपने हाथों को रोकने की गारंटी देता हो।यह केवल वहीं है जहां समापन की कार्यवाही एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां यह अपरिवर्तनीय होगी, जिससे यह समय निर्धारित करना असंभव हो जाता है कि कंपनी न्यायालय को कार्यवाही को एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित करने के बजाय अब संहिता के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।यह चरण पूरा हो गया है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।**[**पैरा **22] [810-**डी**-**एच**; 811-**ए**]**

/

/

**5.** वर्तमान मामले के तथ्यों में, कंपनी न्यायाधीश और खंड पीठ का समवर्ती निष्कर्ष यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि परिसमापक ने अपीलकर्ता कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और उसके कारखाने परिसर, अभिलेख और पुस्तकों पर कब्जा और नियंत्रण कर लिया है, अपीलकर्ता कंपनी को समाप्त करने की दिशा में कोई अपरिवर्तनीय कदम नहीं उठाए गए हैं।ऐसा

होने के कारण**,** कंपनी न्यायालय  ने धारा **434 (1) (**सी**)** के **5** वें परंतुक द्वारा उसमें निहित विवेकाधिकार का सही ढंग से प्रयोग किया है।**[**पैरा **23] [811-**बी**-**सी**]**

/

जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स एम्प्लॉइज ऑर्गनाइजेशन बनाम जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**, (2019) 4** एससीसी **227:[2018[ 14** एस**.** सी**.** आर**. 926;** फोरच इंडिया लिमिटेड बनाम**.**एडलवाइस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कं। लिमिटेड**, 2019** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 87;** स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए**.** एन**.** आर**.** बनामभारत संघ और

/

ओआरएस., (2019) 4 एससीसी 17:[2019] 3 एस. सी. आर. 535-केस विधि  रेफरेंस पर निर्भर

/

**[2018[ 14** एस**.** सी**.** आर**. 926** ने पैरा **3 [2019] 3** एस**.** सी**.** आर**. 535** पर भरोसा किया

पैरा **4**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2020 की सिविल अपील संख्या 4041

2019 की कंपनी अपील संख्या 11 में दिल्ली उच्च न्यायालय  (खंड पीठ) के दिनांकित 10.10.2019 के निर्णय  और आदेश से।

/

सह

2020 की सिविल अपील संख्या 4042-4043।

के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री वर्षा बनर्जी, मिलन सिंह नेगी, सुश्री गरिमा बजाज, सुमीर सोधी, अर्जुन ए.

/

787

ऐक्शन आई. एस. पी. ए. टी. और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड।

नंदा, अनुज बेरी, सुश्री मीशा, सिद्धांत कांत, सुश्री अनुषा रमेश, सुश्री प्रभ सिम्रान कौर, एस. एस. श्रॉफ, अभिषेक सिंह, जमाल आनंद, सुश्री आयुषी मिश्रा, सर्वेश सिंह, अशोक माथुर, अनिल कुमार संगल, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. ये अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांक 10.10.2019 के एक निर्णय से उत्पन्न होती हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित समापन कार्यवाही को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ["NCLT"] में स्थानांतरित करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा गया था।इन अपीलों में शामिल विवाद को समझने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

/

2.1.कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) और (एफ), 434 और 439 के अंतर्गत एक समापन याचिका है। 2016 का No.731 श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 1 यहाँ) द्वारा दायर किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता कंपनी को समाप्त करने की मांग की गई थी, क्योंकि अपीलकर्ता कंपनी को आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए, रु। 4.55 करोड़ अभी भी बकाया था।दिल्ली उच्च न्यायालय में विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने 27.08.2018 पर उपरोक्त याचिका में निम्नलिखित आदेश पारित किया:

/

/

“ आदेश

**27.08.2018**

1. यह याचिका धारा 433 (ई) और (एफ), 434 और 439 के अंतर्गत दायर की गई है।

कंपनी अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)

प्रत्यर्थी कंपनी का समापन।2. याचिका में यह दलील दी गई है कि प्रतिवादी कंपनी ने लोहे के छर्रों की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता कंपनी से संपर्क किया था।प्रत्यर्थी कंपनी को माल की एक निर्दिष्ट मात्रा 11612.34MTs की आपूर्ति की गई थी।आंशिक भुगतान करने के बाद, प्रतिवादी कंपनी द्वारा याचिकाकर्ता को रु. 4,55,00,000/- की राशि देय है और देय है।प्रतिवादी कंपनी समय-समय पर 17 पोस्ट-डेट चेक जारी करती थी।हालाँकि, 13 चेक जब अपने बैंकरों

के साथ प्रस्तुत किए गए, तो बैंकरों द्वारा बिना भुगतान किए वापस कर दिए गए।15.06.2016 पर वैधानिक नोटिस जारी किया गया था लेकिन याचिकाकर्ता को कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

/

/

/

788

/

[2020] 13 एस सी आर।

/

3. प्रत्यर्थी द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।सुनवाई की अंतिम तिथि पर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के साथ मामले को निपटाने के लिए समय लिया था।

4. आज, प्रत्यर्थी कंपनी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी इस तथ्य के कारण मामले को निपटाने की स्थिति में नहीं है कि प्रत्यर्थी की इकाई बंद है।

/

5. इन परिस्थितियों में, याचिका स्वीकार की जाती है और इस न्यायालय से जुड़े आधिकारिक परिसमापक को परिसमापक के रूप में नियुक्त किया जाता है।उसे प्रतिवादी-कंपनी की सभी संपत्तियों, लेखा पुस्तकों और अभिलेख को तुरंत अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया जाता है। उद्धरण 'स्टेट्समैन' (अंग्रेजी) और 'वीर अर्जुन' (हिंदी) समाचार पत्रों के दिल्ली संस्करणों के साथ-साथ सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम 14 दिन पहले दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित किए जाने चाहिए।प्रकाशन की लागत याचिकाकर्ता द्वारा वहन की जानी है जो 2 सप्ताह के भीतर आधिकारिक परिसमापक के पास एक राशि जमा करेगा, बशर्ते कि इस उद्देश्य के लिए परिसमापक द्वारा किसी भी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो, यदि आवश्यक हो।आधिकारिक परिसमापक प्रत्यर्थी-कंपनी की सभी परिसंपत्तियों की एक पूरी सूची तैयार करने का भी प्रयास करेगा जब वे अधिग्रहण की जाएंगी और जिस परिसर में उन्हें रखा गया है, उसे उसके द्वारा सील कर दिया जाएगा।साथ ही, वह परिसमापन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकनकर्ता की सहायता भी ले सकता है। आधिकारिक परिसमापक के लिए यह भी खुला रहेगा कि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिस की मदद ले, यदि वह ऐसा करना उचित समझता है।आधिकारिक परिसमापक प्रत्यर्थी-कंपनी के परिसरों और परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए इस संबंध में आवश्यक सभी कदम उठाएगा।6. 09.01.2019 पर सूची बनाएँ।

/

/

/

7. इस आदेश की एक प्रति न्यायालय  गुरु के हस्ताक्षर के अंतर्गत  दस्ती दी जानी चाहिए। "

/

2.2.इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक ["एस. बी. आई".] (इसमें प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा कंपनी न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जो अपीलकर्ता कंपनी का एक सुरक्षित लेनदार था, जिसमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एस. बी. आई. ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ["संहिता"] की धारा 7 के अंतर्गत  एक आवेदन दायर किया था, जो एन. सी. एल. टी. के समक्ष लंबित था, समापन याचिका को एन. सी. एल. टी. में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। दिनांक 14.01.2019 के आदेश द्वारा, विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने समापन याचिका को स्थानांतरित कर दिया जैसा कि निम्नानुसार अनुरोध किया गया थाः

/

/

789

ऐक्शन आई. एस. पी. ए. टी. और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

/

“ आदेश

**14.01.2019**

**CA No.1240/2018**

1. यह आवेदन वर्तमान याचिका को Co.Pet के रूप में स्थानांतरित करने के लिए दायर किया गया है। No.731/2016 से NCLT तक। यह आवेदन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि आई. बी. सी. की धारा 7 के अंतर्गत  एक आवेदन एन. सी. एल. टी. के समक्ष लंबित है। यह अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादी कंपनी आवेदक बैंक को लगभग Rs.722 करोड़ के बकाया का भुगतान करने में विफल रही थी और इसलिए यह कार्यवाही NCLT के समक्ष शुरू की गई है। आवेदक बैंक उन बैंकों के संघ का एक प्रमुख बैंक भी है, जिन पर लगभग Rs.1100 करोड़ का बकाया है।

/

/

2. इस न्यायालय ने 27.08.2018 पर वर्तमान समापन याचिका को स्वीकार किया था और ओ. एल. को प्रतिवादी कंपनी के अस्थायी परिसमापक के रूप में नियुक्त किया था।

3. ओ. एल. की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ओ. एल. ने नई दिल्ली में प्रतिवादी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और उड़ीसा में कारखाने के परिसर को पहले ही सील कर दिया है।वह आगे प्रस्तुत करता है कि ओएल ने दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में उड़ीसा में कारखाने के परिसर की सुरक्षा में भारी खर्च किया है।

/

4. द एक्स। प्रबंधन हालांकि इस याचिका के हस्तांतरण पर आपत्ति जताता है।उन्होंने कहा है कि उन्हें एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही का बचाव करने का कोई अवसर नहीं मिला है।

/

5. एस. बी. आई. के विद्वान वकील का कहना है कि लेनदार ओ. एल. के खर्चों की प्रतिपूर्ति करेंगे।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 इस प्रकार हैः“[434.कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10 ई की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित कंपनी विधि प्रशासन बोर्ड (इसमें इस धारा में कंपनी विधि बोर्ड के रूप में संदर्भित) के समक्ष लंबित सभी मामले, कार्यवाहियां या मामले, ऐसी तारीख से तुरंत पहले न्यायाधिकरण को हस्तांतरित किए जाएंगे और न्यायाधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों, कार्यवाहियों या मामलों का निपटारा करेगा।

/

/

/



(बी) ऐसी तारीख से पहले किए गए कंपनी लॉ बोर्ड के किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति कंपनी लॉ बोर्ड के निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से साठ दिनों के भीतर उच्च विधि में प्रश्न दायर कर सकता है।बशर्ते कि उच्च न्यायालय यदि संतुष्ट हो कि अपीलार्थी

को उक्त अवधि के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो उसे साठ दिनों से अधिक की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है; और

/

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत सभी कार्यवाहियां, जिसमें मध्यस्थता, समझौता, व्यवस्था और कंपनियों के पुनर्निर्माण और समापन से संबंधित कार्यवाहियां शामिल हैं, जो किसी भी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी तारीख से तुरंत पहले लंबित हैं, न्यायाधिकरण को हस्तांतरित कर दी जाएंगी और न्यायाधिकरण उनके हस्तांतरण से पहले के चरण से ऐसी कार्यवाहियों से निपटने के लिए आगे बढ़ सकता हैः

/

/

बशर्ते कि केवल कंपनियों के समापन से संबंधित ऐसी कार्यवाहियों को न्यायाधिकरण को स्थानांतरित किया जाएगा जो उस स्तर पर हैं जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

[बशर्ते कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रारंभ से तुरंत पहले किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कंपनियों के समापन से संबंधित किसी भी कार्यवाही का कोई भी पक्ष या पक्ष ऐसी कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है और न्यायालय आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाही को न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर सकता है और इस तरह स्थानांतरित की गई कार्यवाही को न्यायाधिकरण द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन के रूप में निपटाया जाएगा। "

/

/

7. यह न्यायालय पहले से ही सी. पी. 152/2016 में निर्णय दिनांकित कर चुकी है।

27.9.2018 रजनी आनंद बनाम कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स लिमिटेड में आयोजित

कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 (1) (सी) के अंतर्गत याचिका को एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित करने की शक्ति विवेकाधीन है और इसका उपयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किया जाना चाहिए ताकि कार्यवाही/समापन से शीघ्रता से निपटा जा सके।
8. मेरी राय में, यह न्याय के हित में और प्रतिवादी कंपनी और लेनदारों के हित में होगा कि ए

/

/

ऐक्शन आई. एस. पी. ए. टी. और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 के अंतर्गत न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामला एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित किया जाए।ओ. एल. की नियुक्ति का आदेश एक हालिया आदेश है और तब से ज्यादा समय नहीं बीत पाया है।ओएल ने केवल प्रतिवादी कंपनी के कार्यालय और कारखाने के परिसर को जब्त करने के लिए कदम उठाए हैं और आगे की कवायद अभी की जानी है।आवेदन की अनुज्ञात ऊपर दी गई है।वर्तमान याचिका को एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित कर दिया गया है।

/

**CO.PET. 731/2016**

9. उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका को एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित कर दिया गया है। सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।याचिका को स्वीकार करने और ओ. एल. को दिनांकित 27.08.2018 के अस्थायी परिसमापक के रूप में नियुक्त करने का आदेश रद्द कर दिया गया है।

/

10. ओ. एल. एस. बी. आई. को आवश्यक खर्चों का विवरण देगा। लागत/खर्च एस. बी. आई. और बैंकों के संघ द्वारा भी वहन किया जाएगा।ओ. एल. एन. सी. एल. टी. के निर्देशानुसार परिसंपत्तियों का कब्जा सौंप देगा।

/

11. दल एन. सी. एल. टी. के समक्ष 04.02.2019 पर उपस्थित होंगे। "

2.3.यह इस आदेश से है कि डिवीजन बेंच में अपीलकर्ता कंपनी की अपील को आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है जिसमें विद्वत डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

/

“41. आई. बी. सी. के अंतर्गत प्रक्रिया किसी दिए गए मामले में सर्वोत्तम संभव समाधान खोजने के लिए है, जो संबंधित कंपनी के साथ-साथ उसके लेनदारों और अन्य हितधारकों के लिए फायदेमंद है।इसलिए, समानता और न्याय के हित में, और आई. बी. सी. की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यदि लर्नड कंपनी जज ने प्रतिवादी नं. एस. बी. आई.-जो एक सुरक्षित लेनदार है, यह न्यायालय सामान्य रूप से लर्नड कंपनी जज के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा,

और वह भी पूर्ववर्ती प्रबंधन के कहने पर।लर्नड कंपनी जज ने आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति और याचिका को स्वीकार करने के आदेश को सही ढंग से याद किया, क्योंकि परिसमापन अपने प्रारंभिक चरण में था और कंपनी जज ऐसा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम था।परिसमापन आदेश पारित होने के बाद, ओ. एल. ने अपीलकर्ता कंपनी की परिसंपत्तियों के परिसमापन की दिशा में कोई प्रभावी या अपरिवर्तनीय कदम नहीं उठाया था।वह सब

/

/

/

792

/

[2020] 13 एस सी आर।

ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपीलार्थी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और उसके कारखाने परिसर और उसके अभिलेख और पुस्तकों का कब्जा और नियंत्रण ले लिया है।

42. उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पहले ही अपीलार्थी कंपनी के संबंध में एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही शुरू कर दी है जो किसी भी स्थिति में जारी रहेगी।इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में ओ. एल. के हाथों परिसमापन कार्यवाही को जारी रखना उन कार्यवाही के साथ असंगत होगा जो एन. सी. एल. टी. ने आई. बी. सी. के अंतर्गत की है और करेगी। दो समानांतर कार्यवाहियों को जारी रखना-एक परिसमापन के लिए कंपनी न्यायालय के समक्ष और दूसरा समाधान/पुनरुद्धार के लिए आई. बी. सी. के समक्ष, कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं करेगा।धारा 434 (1) (सी) में पाई गई वैधानिक योजना स्पष्ट रूप से यह है कि कंपनी न्यायालय के समक्ष लंबित समापन की कार्यवाही को एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित किया जा सकता है और एन. सी. एल. टी. से कंपनी न्यायालय में कार्यवाही के हस्तांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।43. हम, इस प्रकार एल. डी. द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को बरकरार रखते हैं। सी. ए. सं. <आई. डी. 2, दिनांक 14.01.2019 में कंपनी न्यायाधीश ने अपील को खारिज कर दिया। "

/

/

/

3. अपीलकर्ता कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा ने इसके तीन निर्णयों का उल्लेख किया।

न्यायालय , अर्थात्, जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स एम्प्लॉइज ऑर्गनाइजेशन बनाम जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, (2019) 4 एससीसी 227 ["जयपुर मेटल्स"], फोरच इंडिया लिमिटेड बनाम।एडलवाइस परिसंपत्तियाँ

/

पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 87 ["फोरच"], और

मेसर्स कैलेडोनिया जूट एंड फाइबर प्राइवेट लिमिटेड बनाममेसर्स एक्सिस निर्माण एंड

इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, 2020 एससीसीऑनलाइन एससी 943 ["कैलेडोनिया"]। उनके अनुसार, कोई भी निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान मामले के तथ्यों पर, एक बार कंपनी न्यायाधीश द्वारा समापन आदेश पारित किए जाने के बाद, केवल समापन कार्यवाही उच्च न्यायालय  के समक्ष जारी रखी जानी चाहिए और संहिता के अंतर्गत  समानांतर कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है।उन्होंने तर्क दिया कि जयपुर मेटल्स (उपरोक्त) यह स्पष्ट करता है कि संहिता के अंतर्गत  स्वतंत्र कार्यवाही भी केवल तभी जारी रह सकती है जब समापन आदेश पारित होने से पहले का चरण हो, जो न्यायालय  के समक्ष तथ्यों पर मामला था।इसी तरह, फोरच (ऊपर) में भी, समापन कार्यवाही का चरण समापन याचिका के नोटिस की सेवा के बाद और समापन आदेश पारित होने से पहले था, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 (1) (सी) का 5 वां परंतुक लागू किया गया था।इसी तरह, कैलेडोनिया (सुप्रा) में, हालांकि एक घुमावदार ए

/

/

/

793

ऐक्शन आई. एस. पी. ए. टी. और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

उस मामले के तथ्यों पर आदेश पारित किया गया था, उपरोक्त आदेश को स्थगित कर दिया गया था।तथ्यों के आधार पर, ये तीन मामले पूरी तरह से अलग-अलग हैं और इसका उस परिदृश्य पर कोई प्रभाव नहीं होगा जिसमें समापन आदेश पारित किया गया है और आधिकारिक परिसमापक ने वास्तव में लेनदारों और अन्य लोगों को वितरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कंपनी की संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः कंपनी का विघटन हो जाएगा।

/

4. एस. बी. आई. की ओर से पेश हुए भारत के विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने इन सभी दलीलों का विरोध किया।उनके अनुसार, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 (1) (सी) का पांचवां प्रावधान अब यह स्पष्ट करता है कि कंपनी न्यायालय में परिसमापन के चरण के संदर्भ के बिना परिसमापन की कार्यवाही को एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित करने का विवेकाधिकार निहित है।विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, स्वीकार करने के बाद भी, यदि कोई अपरिवर्तनीय कदम नहीं उठाए गए हैं, तो संहिता की धारा 434 (1) (सी) और धारा 238 के 5 वें परंतुक को संयुक्त रूप से पढ़ने से समापन कार्यवाही एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित की जाएगी, क्योंकि संहिता न केवल एक गैर-अस्थाई खंड के साथ एक विशेष अधिनियम है, जो संघर्ष के मामलों में कंपनी अधिनियम, 2013 को समाप्त कर देगा, बल्कि यह भी कि स्विस रिबन में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए

/

/

प्राइवेट लिमिटेड और ए**.** एन**.** आर**.** बनामभारत संघ और अन्य**, (2019) 4** एस**.** सी**.** सी**.** **17 [**स्विस**]**

रिबन], एक कंपनी को पुनर्जीवित करने के सभी प्रयासों के विफल होने के बाद समापन एक अंतिम उपाय है।उनके अनुसार, कंपनी न्यायालय और डिवीजन बेंच द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण और सही ढंग से प्रयोग किया गया है, जिससे हमारे हाथों से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है।

/

5. स्विस रिबन (ऊपर) में, इस न्यायालय के पास संहिता के अधिनियमन के कारण से निपटने का अवसर था।इस न्यायालय के निर्णय में संहिता के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को निम्नानुसार संदर्भित किया गया हैः

/

“25. संहिता के उद्देश्यों और कारणों का विवरण है

अभिनव उद्योगों में संदर्भित किया गया [अभिनव]

इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामआईसीआईसीआई बैंक, (2018) 1 एससीसी 407:(2018) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 356] जो कहता हैः(एस. सी. सी. पीपी. 421-22, पैरा 12)

/

“12. ... संहिता के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार हैः

‘ उद्देश्यों और कारणों का विवरण।—कोई एकल नहीं है

भारत में विधि  जो दिवाला और दिवालियापन से संबंधित है।प्रावधान

/

794

/

[2020] 13 एस सी आर।

कंपनियों के लिए दिवाला और दिवालियापन से संबंधित बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013 में पाया जा सकता है।इन विधि ों में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) और राष्ट्रीय कंपनी विधि  न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और उनके संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरणों जैसे कई मंचों के निर्माण का प्रावधान है।कंपनियों का परिसमापन उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता है।व्यक्तिगत दिवालियापन और दिवालियापन से प्रेसीडेंसी टाउन दिवालियापन अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम, 1920 के अंतर्गत  निपटा जाता है और अदालतों द्वारा निपटा जाता है।मौजूदा ढांचा

/

/

दिवालियापन और दिवालियापन अपर्याप्त, अप्रभावी है और इसके परिणामस्वरूप समाधान में अनुचित देरी होती है, इसलिए, प्रस्तावित कानून।

2. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2015 का उद्देश्य निगमित व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित और संशोधित करना है ताकि ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम किया जा सके, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके, ऋण की उपलब्धता और सरकारी बकाया के भुगतान की प्राथमिकता में परिवर्तन सहित सभी हितधारकों के हितों को संतुलित किया जा सके और एक दिवाला और दिवालियापन कोष की स्थापना की जा सके और इससे जुड़े या उससे जुड़े मामले।दिवाला और दिवालियापन के समय पर समाधान के लिए एक प्रभावी कानूनी ढांचा ऋण बाजारों के विकास में सहायता करेगा और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा।यह व्यवसाय करने की सुगमता में भी सुधार करेगा और अधिक निवेश की सुविधा प्रदान करेगा जिससे उच्च आर्थिक विकास और विकास होगा।

/

/

/

3. संहिता में दिवाला, परिसमापन और दिवालियापन के समाधान के लिए एन. सी. एल. टी. और डी. आर. टी. को क्रमशः निगमित व्यक्तियों और फर्मों और व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों के रूप में नामित करने का प्रावधान है।संहिता दिवाला और दिवालियापन की कार्यवाही के वाणिज्यिक पहलुओं को न्यायिक पहलुओं से अलग करती है।संहिता में दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और ए के विनियमन के लिए भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना का भी प्रावधान है।

/

/

795

ऐक्शन आई. एस. पी. ए. टी. और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

सूचना उपयोगिताएँ।बोर्ड की स्थापना होने तक, केंद्र सरकार बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी या बोर्ड की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक को नामित करेगी।दिवाला पेशेवर संहिता में परिकल्पित दिवाला समाधान, परिसमापन और दिवालियापन कार्यवाही को पूरा करने में सहायता करेंगे।सूचना उपयोगिताएँ इस तरह की कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय जानकारी एकत्र करेंगी, एकत्रित करेंगी, प्रमाणित करेंगी और प्रसारित करेंगी।संहिता में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए भारतीय दिवाला और दिवालियापन कोष नामक एक कोष स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

/

4. संहिता में भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, आयकर अधिनियम, 1961, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993, वित्त अधिनियम, 1994, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002, बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) निरसन अधिनियम, 2003, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 और कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन का प्रावधान है।

/

/

**5.** संहिता उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है।'" **(**मूल में जोर**)**

/

इसके बाद न्यायालय ने कहाः

"27. जैसा कि स्पष्ट है, प्रस्तावना इस बात की अंतर्दृष्टि देती है कि संहिता द्वारा क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है।संहिता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, कॉर्पोरेट देनदारों के पुनर्गठन और दिवालिया समाधान के लिए एक संहिता।जब तक इस तरह का पुनर्गठन समयबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति का मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए, ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना ताकि उन्हें कुशलता से चलाया जा सके, संहिता का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है।यह बदले में उद्यमिता को बढ़ावा देगा क्योंकि निगमित देनदार के प्रबंधन में व्यक्तियों को हटा दिया जाता है और उद्यमियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।इसलिए, जब एक समाधान योजना शुरू होती है और कॉर्पोरेट देनदार को आर्थिक मुख्यधारा में वापस लाया जाता है, तो यह अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम होता है, जो बदले में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हाथों में ऋण की व्यवहार्यता को बढ़ाता है। सबसे बढ़कर, अंततः सभी हितधारकों के हितों की देखभाल की जाती है क्योंकि निगमित ऋणी स्वयं समाधान योजना-श्रमिकों का लाभार्थी बन जाता है।

/

/

/



भुगतान किया जाता है, लंबे समय में लेनदारों को पूरा भुगतान किया जाएगा, और शेयरधारक/निवेशक अपने निवेश को अधिकतम करने में सक्षम होंगे।एक कॉर्पोरेट देनदार का समय पर समाधान, जो एक प्रभावी कानूनी ढांचे द्वारा संकट में है, ऋण बाजारों के विकास का समर्थन करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा।चूंकि अर्थव्यवस्था में वापस आए धन से अधिक निवेश किया जा सकता है, इसलिए व्यापार तब आसान हो जाता है, जो कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च आर्थिक विकास और विकास की ओर ले जाता है।दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना किसी भी तरह से परिसमापन का उल्लेख नहीं करती है, जिसका लाभ केवल अंतिम उपाय के रूप में लिया जाता है यदि या तो कोई समाधान योजना नहीं है या प्रस्तुत की गई समाधान योजनाएं सही नहीं हैं।परिसमापन में भी परिसमापक निगमित देनदार के व्यवसाय को चालू चिंता के रूप में बेच सकता है।(देखें।

/

/

आर्सेलर मित्तल [आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम.सतीश कुमार

गुप्ता, (2019) 2 एस. सी. सी. 1] पैरा 83, एफ. एन. 3 पर।

28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कानून का प्राथमिक ध्यान कॉर्पोरेट देनदार को अपने स्वयं के प्रबंधन से और परिसमापन द्वारा कॉर्पोरेट मृत्यु से बचाकर कॉर्पोरेट देनदार का पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना है।इस प्रकार संहिता एक लाभकारी कानून है जो कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करता है, न कि केवल लेनदारों के लिए वसूली कानून है।इसलिए, निगमित देनदार के हितों को विभाजित कर दिया गया है और इसके प्रवर्तकों/जो प्रबंधन में हैं, उनके हितों से अलग कर दिया गया है।इस प्रकार, समाधान प्रक्रिया निगमित देनदार के लिए प्रतिकूल नहीं है, बल्कि वास्तव में, उसके हितों की रक्षा करती है।धारा 14 द्वारा लगाया गया अधिस्थगन स्वयं निगमित देनदार के हित में है, जिससे समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का संरक्षण होता है।जिस समय सीमा के भीतर समाधान प्रक्रिया फिर से होनी है, वह कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों को और कमजोर होने से बचाती है, और यह देखकर अपने सभी लेनदारों और श्रमिकों की भी रक्षा करती है कि समाधान प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके, ताकि कोई अन्य प्रबंधन अपने उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित कर सके। "

/

/

/

/

ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, न्यायालय  ने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त कीः

“ उपसंहार

**120.** दिवाला संहिता एक ऐसा कानून है जो आर्थिक मामलों से संबंधित है और बड़े अर्थों में अर्थव्यवस्था ए से संबंधित है।

/



ऐक्शन आई. एस. पी. ए. टी. और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

पूरे देश में।पहले के प्रयोग, जैसा कि हमने देखा है, विधानों के विफल होने के संदर्भ में, "परीक्षण" बार-बार "त्रुटियों" का कारण बना, अंततः संहिता के अधिनियमन का कारण बना। संहिता में निहित प्रयोग, जिसे इसके प्रावधानों की व्यापकता से आंका जाता है, न कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बताई गई तथाकथित क्रूरताओं और असमानताओं से, संवैधानिक रूप से पारित होता है।आर्थिक चीजों में प्रयोग जारी रखना एक गंभीर जिम्मेदारी है, और प्रयोग के अधिकार से इनकार करना राष्ट्र के लिए गंभीर परिणामों से भरा है।हमने यह भी देखा है कि संहिता के कामकाज की निगरानी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में गठित विशेषज्ञ समितियों द्वारा की जा रही है।जिस छोटी अवधि में संहिता संचालित हुई है, उसमें संहिता के साथ-साथ इसके अंतर्गत  बनाए गए अधीनस्थ विधान दोनों में संशोधन किए गए हैं।यह प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जिसमें याचिकाकर्ताओं सहित सभी हितधारक शामिल हैं।

/

/

121. हमें यह जानकर खुशी हो रही है कि संहिता के काम करने में, वित्तीय ऋणों के पुनर्भुगतान के परिणामस्वरूप भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह तेजी से बढ़ा है।निगम ऋणदाताओं और ऋणदाताओं के बीच अदालत के बाहर समझौते के आधार पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा लगभग 3300 मामलों का निपटारा किया गया है, जिसमें स्वयं आई. एन. आर. 1,20,390 करोड़ से अधिक के दावे शामिल हैं।तब से समाधान योजनाओं को स्वीकार करके अस्सी मामलों का समाधान किया गया है।इन अस्सी मामलों में से तैंसठ ऐसे मामलों का परिसमापन मूल्य 29 करोड़ रुपये है।हालांकि, समाधान प्रक्रिया से प्राप्त राशि 60,000 करोड़ रुपये के क्षेत्र में है, जो परिसमापन मूल्य के 202% से अधिक है।इसके परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे आंकड़े जारी किए हैं जो इन परिणामों को दर्शाते हैं। इस प्रकार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र (खाद्य के अलावा) को जो ऋण दिया गया है, वह 2017-2018 में आई. एन. आर. 2016-2017 में आई. एन. आर. 4952.24 करोड़ से बढ़कर आई. एन. आर. 9161.09 करोड़ हो गया है और आई. एन. आर. 2018-2019 के पहले छह महीनों के लिए आई. एन. आर. 13,195.20 करोड़ हो गया है।समान रूप से, गैर-बैंकों से ऋण प्रवाह 2016-2017 में INR 6819.93 करोड़ से बढ़कर 2018-2019 के पहले छह महीनों के लिए INR 4718 करोड़ हो गया है।अंततः, भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र, बैंक और गैर-बैंक दोनों, और घरेलू और विदेशी (गैर-खाद्य क्षेत्र से संबंधित) के लिए संसाधनों का कुल प्रवाह कुल 14 करोड़ रुपये, 2016-2017 में 530.47 करोड़ रुपये से बढ़कर 18 करोड़ रुपये, 2017-2018 में 469.25 करोड़ रुपये और 2018-2019 के पहले छह महीनों में 18 करोड़ रुपये हो गया है।ये आंकड़े बताते हैं कि

/

/

/

/

/

798

/

[2020] 13 एस सी आर।

संहिता को लागू करने में किया गया प्रयोग काफी हद तक सफल साबित हो रहा है।चूककर्ता का स्वर्ग खो जाता है।इसके स्थान पर अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को फिर से हासिल कर लिया गया है।परिणाम यह है कि अब इस निर्णय  के संदर्भ में सभी याचिकाओं का निपटारा किया जाएगा।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। "

6. इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, आइए अब हम संहिता के अंतर्गत  एन. सी. एल. टी. द्वारा सुनवाई के लिए कंपनी न्यायालय  से समापन याचिकाओं के हस्तांतरण से संबंधित इस न्यायालय  के कुछ फैसलों की जांच करें।7. संहिता की धारा 255 इस प्रकार हैः

/

“255. 2013 के अधिनियम 18 में संशोधन।—कंपनियाँ

/

अधिनियम, 2013 को ग्यारहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया जाएगा। "

इस धारा के अनुसरण में, संहिता की ग्यारहवीं अनुसूची ने कंपनी अधिनियम, 2013 में विभिन्न संशोधन किए।जयपुर मेटल्स (ऊपर) में पैराग्राफ 10 और 11 में इनका विस्तार से उल्लेख किया गया है।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि समापन कार्यवाही को एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित करने का पहला कदम कंपनी (लंबित कार्यवाही का हस्तांतरण) नियम, 2016 ["स्थानांतरण नियम, 2016"] द्वारा उठाया गया था, जिसने कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 26 के संदर्भ में याचिका की सेवा से पहले एक स्तर पर उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी समापन कार्यवाही को अनिवार्य रूप से एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित कर दिया था।17.08.2018 पर किए गए एक संशोधन द्वारा, धारा 434 (1) (सी) में 5 वां परंतुक जोड़ा गया था जिसमें निम्नानुसार कहा गया हैः

/

/

“434. कुछ लंबित कार्यवाहियों का स्थानांतरण।—(1) ऐसे में

केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाने वाली तिथि-(क) XXX

/

( ख) XXX XXX

( ग) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत  सभी कार्यवाहियां, जिसमें मध्यस्थता, समझौता, व्यवस्था और कंपनियों के पुनर्निर्माण और समापन से संबंधित कार्यवाहियां शामिल हैं, जो किसी भी जिला न्यायालय  या उच्च न्यायालय  के समक्ष ऐसी तारीख से तुरंत पहले लंबित हैं, न्यायाधिकरण को हस्तांतरित कर दी जाएंगी और न्यायाधिकरण उनके हस्तांतरण से पहले चरण से ऐसी कार्यवाहियों से निपटने के लिए आगे बढ़ सकता हैः XXX XXX XXX

/

बशर्ते कि कोई भी पक्ष या पक्ष किसी भी न्यायालय  के समक्ष लंबित कंपनियों के समापन से संबंधित किसी भी कार्यवाही के लिए

/



दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रारंभ से तुरंत पहले, ऐसी कार्यवाहियों के हस्तांतरण के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है और न्यायालय  आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाहियों को न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर सकता है और इस तरह से स्थानांतरित की गई कार्यवाहियों को न्यायाधिकरण द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत  कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन के रूप में निपटाया जाएगा। "

/

8. जयपुर मेटल्स (उपरोक्त) में न्यायालय  उपरोक्त हस्तांतरण नियमों के नियम 5 (2) द्वारा निपटाए गए मामलों की एक विशेष श्रेणी से सीधे संबंधित था जिसे बाद में हटा दिया गया था। चूक के बावजूद, न्यायालय  ने इस नियम को लागू किया, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 में किए गए संशोधन के साथ पढ़ा गया, जिसमें कहा गया थाः

/

“17. हालांकि, हालांकि नियम 5 (2) की भाषा काफी स्पष्ट है, हमारे सामने यह तर्क दिया गया है कि नियम 5 को 29-6-2017 पर प्रतिस्थापित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप

नियम 5 (2) को हटा दिया गया है।नियम 5 (2) को हटाने का प्रभाव एस. आई. सी. अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत  सभी मामलों को एन. सी. एल. टी. को स्वचालित विरचित से स्थानांतरित करना नहीं है, अन्यथा, ऐसे मामलों को एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित करने के लिए एक विशिष्ट नियम तैयार करना होगा, जैसा कि नियम 5 (1) में किया गया है। प्रतिस्थापित नियम 5 में नियम 5 (2) को हटाने का वास्तविक कारण यह है कि एस. आई. सी. अधिनियम के निरसन पर केवल एक बार यह कहना आवश्यक है कि एस. आई. सी. अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत  कार्यवाही उच्च न्यायालय  द्वारा की जाती रहेगी।29-6-2017 के बाद भी नियम 5 (2) को जारी रखना अनावश्यक था क्योंकि 15-12-2016 पर, एस. आई. सी. अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत  सभी लंबित मामलों को उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाना था, जिनके समक्ष ऐसे मामले लंबित थे।चूंकि एस. आई. सी. अधिनियम के निरस्त होने के बाद एस. आई. सी. अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत  बी. आई. एफ. आर. द्वारा कोई राय नहीं हो सकती थी, इसलिए नियम 5 (2) को जारी रखना अनावश्यक था, क्योंकि एस. आई. सी. अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत  सभी लंबित कार्यवाही उच्च न्यायालय  में जारी रखी जानी थी और उसके बाद भी जारी रहेगी।आई. डी. 1 से प्रभावी धारा 434 (1) (सी) अंतर्गत  संशोधन द्वारा यह और स्पष्ट किया गया है, जहां इस तारीख से तुरंत पहले न्यायालय  के समक्ष लंबित समापन कार्यवाही का कोई भी पक्ष ऐसी कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए आवेदन दायर कर सकता है, और न्यायालय , उस स्तर पर, आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाही को एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित कर सकती है। इस प्रकार हस्तांतरित की गई कार्यवाही को एन. सी. एल. टी. द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के लिए एक आवेदन के रूप अंतर्गत  निपटाया जाएगा।

/

/

/

/

/

800

/

[2020] 13 एस सी आर।

कोड।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 2016 स्थानांतरण नियमों की धारा 434 (संशोधित) और नियम 5 की योजना के अंतर्गत , उच्च न्यायालय  के समक्ष लंबित एस. आई. सी. अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत  सभी कार्यवाही तब तक जारी रहेगी जब तक कि कोई पक्ष 2018 के

बाद ऐसी कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए उच्च न्यायालय  के समक्ष आवेदन दायर नहीं करता है।एक बार ऐसा करने के बाद, उच्च न्यायालय  को ऐसी कार्यवाही को एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित करना चाहिए जो तब संहिता के अंतर्गत  कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के लिए एक आवेदन के रूप में ऐसी कार्यवाही से निपटेगा।

/

18. इसलिए, उच्च न्यायालय  का निर्णय , हालांकि 2016 स्थानांतरण नियमों के नियम 6 को लागू करने में गलत है, फिर भी इस पहलू पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 के साथ पढ़े गए नियम 5 (2) के संदर्भ में समर्थित किया जा सकता है, जैसा कि 17-8-2018 से संशोधित किया गया है।

/

एक महत्वपूर्ण परिच्छेद में, न्यायालय  ने आगे कहाः

“19. लेकिन, इससे बात खत्म नहीं होती।यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी 3 ने 11-1-2018 पर संहिता के अंतर्गत  एक धारा 7 आवेदन दायर किया है, जिस पर NCLT द्वारा 13-4-2018 पर इस तरह के आवेदन को स्वीकार करते हुए एक आदेश पारित किया गया है।यह कार्यवाही एक स्वतंत्र कार्यवाही है जिसका उच्च न्यायालय  के समक्ष लंबित समापन कार्यवाही के हस्तांतरण से कोई लेना-देना नहीं है।संहिता की धारा 7 के अंतर्गत  आवेदन करने के लिए समापन आदेश पारित होने से पहले यह किसी भी समय प्रतिवादी 3 के लिए खुला था।संहिता की धारा 238 के साथ धारा 7 को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है जो इस प्रकार हैः

/

/

“238. अन्य को ओवरराइड करने के लिए इस संहिता के प्रावधान

/

कानून।—इस संहिता के प्रावधानों का प्रभाव होगा, इसके बावजूद कि उस समय लागू किसी अन्य विधि  या किसी ऐसे विधि  के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी दस्तावेज में कुछ भी असंगत है। "

इसलिए न्यायालय  ने अंततः निर्णय दियाः

/

“20. ... हमारा विचार है कि एनसीएलटी एक सुरक्षित वित्तीय लेनदार, अर्थात् अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र कार्यवाही के लिए संहिता की धारा 238 को लागू करने में बिल्कुल सही था। यह मामला होने के कारण, यह समझना मुश्किल है

कि उच्च न्यायालय  यह कैसे मान सकता था कि एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना थी।इस ए पर

/

801

ऐक्शन आई. एस. पी. ए. टी. और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

इसलिए, उच्च न्यायालय  के निर्णय  को दरकिनार करना पड़ता है।एन. सी. एल. टी. की कार्यवाही अब उस चरण से जारी रहेगी जिस पर उन्हें छोड़ दिया गया है।जाहिर है, उच्च न्यायालय  के समक्ष लंबित कंपनी याचिका को संहिता की धारा 238 को देखते हुए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।उच्च न्यायालय  के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं का भी इस तथ्य के आलोक में निपटारा किया जाना चाहिए कि संहिता के अंतर्गत  कार्यवाही को अपना पूरा पाठ्यक्रम चलाना चाहिए।इसलिए हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर देते हैं।

/

निर्णय  [जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 2018 एस. सी. सी.

ऑनलाइन राज 1472]। "

9. फोरच (ऊपर) में, इस न्यायालय  ने, उपरोक्त नियमों और धारा 434 (1) (सी) के लिए 5 वें परंतुक को निर्धारित करने के बाद, तब अभिनिर्धारित कियाः

/

“16. हमारा विचार है कि नियम 26 और 27 स्पष्ट रूप से एक पूर्व-प्रवेश परिदृश्य का उल्लेख करते हैं जैसा कि नियम 26 और 27 के एक सादे पठन से स्पष्ट है, जो यह स्पष्ट करता है कि प्रपत्र संख्या 6 में निहित सूचना सुनवाई की तारीख से कम से कम 14 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए।इसलिए, प्रपत्र संख्या 6 में "स्वीकार किया गया" अभिव्यक्ति का केवल यह अर्थ है कि समापन याचिका में नोटिस जारी किया गया है जो तब एक निश्चित दिन पर "कंपनी न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए तय किया जाता है"।इस प्रकार, मद्रास उच्च न्यायालय  का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है जबकि बॉम्बे उच्च न्यायालय  का दृष्टिकोण विधि ी रूप से सही है।

/

/

17. विधि में परिणामी स्थिति यह है कि, पहले कदम के रूप में, जब संहिता लागू की गई थी, केवल समापन याचिकाएं, जहां कंपनी (न्यायालय) नियमों के नियम 26 के अंतर्गत कोई नोटिस नहीं दिया गया था, को एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित किया जाना था और संहिता के अंतर्गत याचिकाओं के रूप में माना जाना था।हालांकि, संहिता के काम करने पर, सरकार ने महसूस किया कि उच्च न्यायालयों के साथ-साथ संहिता में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष समानांतर कार्यवाही संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को बाधित करेगी, जो कि निगमित ऋणदाताओं को पुनर्जीवित करना है जो संकट में हैं।इस उद्देश्य के अनुसार, नियमों में संशोधन किया जाता रहा, जब तक कि अंत में 2018 में धारा 434 को प्रतिस्थापित नहीं किया गया, जिसमें एक परंतुक जोड़ा गया था, जिसके द्वारा उन याचिकाओं को समाप्त करने में भी जहां नोटिस दिया गया है और जो उच्च न्यायालय ों में लंबित हैं, कोई भी व्यक्ति संहिता के अंतर्गत ऐसी याचिकाओं को एन. सी. एल. टी. में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन कर सकता है, जिसे तब उच्च न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को स्थानांतरित करना होगा और संहिता के अंतर्गत दिवालिया याचिका के रूप में माना जाएगा।इस वैधानिक योजना को संदर्भित किया गया है, हालांकि

/

/

/

802

/

[2020] 13 एस सी आर।

एस. आई. सी. ए. की धारा 20 के संदर्भ में, हमारे निर्णय में जो है

जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स एम्प्लॉइज ऑर्गनाइजेशन में महासचिव श्री तेज राम मीणा बनाम जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के माध्यम से शामिल। इसके माध्यम से

प्रबंध निदेशक, इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिनांकित 12.12.2018 का निर्णय है। "

/

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने इसके बाद निर्णय दियाः

“22. यह धारा सीमित अनुप्रयोग की है और केवल एक कॉर्पोरेट देनदार को संहिता की धारा 10 के अंतर्गत याचिका शुरू करने से रोकती है जिसके संबंध में परिसमापन आदेश दिया गया है।इस धारा के पढ़ने से, यह नहीं पता चलता है कि जब तक निगमित देनदार के खिलाफ

परिसमापन आदेश नहीं दिया जाता है, तब तक धारा 7 या धारा 9 के अंतर्गत दिवालिया याचिका दायर की जा सकती है, जैसा कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।इसलिए, हमारे सामने समस्या के संदर्भ में धारा 11 का कोई भी संदर्भ पूरी तरह से अप्रासंगिक है।हालाँकि, हम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं क्योंकि यह स्पष्ट है कि वित्तीय लेनदार का आवेदन जिसे न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया है, स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र कार्यवाही है जिसका निर्णय संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।23. हालाँकि, हम अपील को खारिज करने वाले अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम हमारे समक्ष अपीलकर्ता को कंपनी अधिनियम (2018 में जोड़ा गया) की धारा 434 के प्रावधान के अंतर्गत आवेदन करने की स्वतंत्रता देते हैं, ताकि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित समापन कार्यवाही को एन. सी. एल. टी. में स्थानांतरित किया जा सके, जिसे तब संहिता की धारा 9 के अंतर्गत कार्यवाही के रूप में माना जा सकता है। "

/

/

/

10. कैलेडोनिया (ऊपर) में, न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठा, वह समापन आदेश पारित होने के बाद उठा, लेकिन जिसे कंपनी न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था।न्यायालय के समक्ष परेशान करने वाला प्रश्न यह था कि क्या फोरच (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 17 में निहित अभिव्यक्ति "कोई भी व्यक्ति स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता है" उन व्यक्तियों को संदर्भित करेगा जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं हैं।इस न्यायालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 278 को निर्धारित करने के बाद कहाः

/

/

“44. इस प्रकार, किसी कंपनी को बंद करने की कार्यवाही वास्तव में ऐसी कार्यवाही होती है जिसमें लेनदारों का पूरा निकाय एक पक्ष होता है।कार्यवाही एक या अधिक लेनदारों द्वारा शुरू की गई हो सकती है, लेकिन एक काल्पनिक कल्पना के अनुसार याचिका को ए के रूप में माना जाता है।

/

एक संयुक्त याचिका।आधिकारिक परिसमापक लेनदारों के पूरे निकाय के लिए और उसकी ओर से कार्य करता है।इसलिए, धारा 434 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के 5 वें परंतुक में दिखाई देने वाले "पक्षकार" शब्द का अर्थ केवल एकल याचिका दायर करने वाले लेनदार या कंपनी या आधिकारिक परिसमापक से नहीं किया जा सकता है।धारा 434 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के 5 वें परंतुक में दिखाई देने वाले "पक्ष या पक्ष" शब्द परिसमापन में कंपनी के किसी भी लेनदार को अपने दायरे में ले लेंगे।

/

45. उपरोक्त निष्कर्ष पर कटौती तर्क की एक अन्य विधि के माध्यम से भी पहुँचा जा सकता है। यदि कोई लेनदार आधिकारिक परिसमापक के किसी भी निर्णय से व्यथित है, तो वह 1956 के अधिनियम के अंतर्गत  कंपनी न्यायालय  के समक्ष इसे चुनौती देने का हकदार है।एक बार जब वह ऐसा करता है, तो वह कार्यवाही में एक पक्ष बन जाता है, यहां तक कि अनुभाग की साधारण भाषा से भी।किसी पक्ष को इस तरह के घुमावदार मार्ग को अपनाने और फिर धारा 434 (1) (सी) के 5 वें परंतुक का सहारा लेने के लिए कहने के बजाय, ऐसे पक्ष के सीधे स्थानांतरण की मांग करने के अधिकार को पहचानना बेहतर होगा।

/

/

46. जैसा कि फोरच इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय  द्वारा कहा गया है, यदि समानांतर कार्यवाही को विभिन्न मंचों पर चलने की अनुज्ञात  जाती है तो आई. बी. सी. के उद्देश्य को कम किया जाएगा।यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय  को समापन के साथ आगे बढ़ने की अनुज्ञात  जाती है और एन. सी. एल. टी. को धारा 7 आई. बी. सी. के अंतर्गत  आवेदन की जांच के साथ आगे बढ़ने की अनुज्ञात  जाती है, तो आई. बी. सी. का पूरा उद्देश्य हवा में फेंक दिया जाएगा।

/

47. इसलिए, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता-इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 434 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के 5 वें परंतुक में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "पक्ष" की परिभाषा के भीतर आएगा और याचिकाकर्ता पहले प्रतिवादी के खिलाफ लंबित समापन कार्यवाही को एन. सी. एल. टी. में स्थानांतरित करने की मांग करने का हकदार है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है

/

कि कंपनी **(**लंबित कार्यवाहियों का हस्तांतरण**)** नियम**, 2016** के नियम **5** और **6** के अंतर्गत  प्रतिबंध**,** उस चरण से संबंधित है जिस पर हस्तांतरण का आदेश दिया जा सकता है**,**

धारा **434** की उप**-**धारा **(1)** के खंड **(**सी**)** के **5** वें परंतुक द्वारा कवर किए गए हस्तांतरण के मामले में कोई आवेदन नहीं है।

/

इसलिए, कंपनी (न्यायालय ) नियम, 1959 के नियम 26 के आधार पर स्थानांतरण के लिए याचिका को खारिज करने वाला उच्च न्यायालय  का आक्षेपित  आदेश त्रुटिपूर्ण है। "

(मूल में जोर)

/

804

/

[2020] 13 एस सी आर।

11. इस न्यायालय  के तीन निर्णयों को पढ़ने पर जो बात स्पष्ट होती है वह निम्नलिखित हैः

(i) जहां तक समापन कार्यवाही के हस्तांतरण का संबंध है, संहिता ने कंपनियों के समापन से संबंधित कार्यवाही को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित स्तर पर एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित करने के लिए अस्थायी रूप से शुरू किया।

/

(ii) यह हस्तांतरण नियम, 2016 (उपर्युक्त) द्वारा किया गया था जो 15.12.2016 से लागू हुआ था।नियम 5 और 6 में तीन प्रकार की कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है।केवल वे कार्यवाहियाँ जो समापन याचिका के नोटिस की पूर्व-सेवा के चरण में हैं, अनिवार्य रूप से एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित की जाती हैं।

/

(iii) इसलिए परिणाम यह हुआ कि नोटिस के बाद और समापन याचिकाओं को पूर्व में स्वीकार करने के बाद, दोनों कानूनों के अंतर्गत  समानांतर कार्यवाही जारी रहेगी, जिससे सबसे अधिक असंतोषजनक स्थिति पैदा होगी।इसके परिणामस्वरूप धारा 434 (1) (सी) में पांचवें परंतुक की शुरूआत हुई, जो जैसा कि कैलेडोनिया (ऊपर) में सही ढंग से इंगित किया गया है, समापन कार्यवाही के किसी विशेष चरण तक सीमित नहीं है।

/

((iv) इसलिए, विधि  के मामले के रूप में जो आगे आता है वह यह है कि समापन याचिका के स्वीकार होने के बाद भी, और किसी कंपनी की परिसंपत्तियों को लेने के लिए कंपनी

परिसमापक की नियुक्ति के बाद, ऐसी याचिका को एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित करने का विवेकाधिकार कंपनी न्यायालय  में निहित है। इस मामले में हमारे सामने जो प्रश्न  उठता है वह यह है कि इस तरह के विवेक का प्रयोग कैसे किया जाए?

/

12. कंपनी अधिनियम, 2013 एक अलग अध्याय में कंपनियों को समाप्त करने से संबंधित है, जो अध्याय XX है। जब किसी कंपनी को बंद करने की याचिका न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो न्यायाधिकरण को धारा 273 के अंतर्गत  इसे खारिज करने की शक्ति दी जाती है; कोई भी अंतरिम आदेश देने के लिए जो वह उचित समझता है; कंपनी को बंद करने का आदेश देने तक कंपनी के अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति करने के लिए; कंपनी को बंद करने के लिए आदेश देने के लिए; या कोई अन्य आदेश पारित करने के लिए जो वह उचित समझता है-धारा 273 (1) देखें।

/

13. इसके बाद कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 278 और 279 आती हैं, जिसमें कहा गया हैः

/

"278. समापन आदेश का प्रभाव।—वाइंडिंग के लिए आदेश -

कंपनी का गठन सभी लेनदारों और कंपनी के सभी अंशदाताओं के पक्ष में काम करेगा जैसे कि यह लेनदारों और अंशदाताओं की संयुक्त याचिका पर किया गया हो। "

/



ऐक्शन आई. एस. पी. ए. टी. और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

/

"279. समापन आदेश पर सूट आदि का ठहराव।—(1) जब ए.

परिसमापन आदेश पारित कर दिया गया है या एक अस्थायी परिसमापक नियुक्त किया गया है, कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी, या यदि परिसमापन आदेश की तारीख पर लंबित है, तो न्यायाधिकरण की अनुमति के अलावा कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसी शर्तों के अधीन होगी जो न्यायाधिकरण लागू कर सकता हैः

/

बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत  अनुमति की मांग करने वाले न्यायाधिकरण के किसी भी आवेदन का न्यायाधिकरण द्वारा साठ दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा।(2) उप-धारा (1) की कोई बात उच्चतम न्यायालय  या उच्च न्यायालय  के समक्ष अपील में लंबित किसी भी कार्यवाही पर लागू नहीं होगी। "

/

14. एक बार समापन आदेश दिए जाने के बाद, और एक कंपनी परिसमापक नियुक्त किए जाने के बाद, ऐसे परिसमापक को धारा 281 के अंतर्गत  न्यायाधिकरण को निम्नलिखित रूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती हैः

“281. कंपनी परिसमापक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना।—

/

(1) जहाँ न्यायाधिकरण ने परिसमापन का आदेश दिया है या कंपनी परिसमापक नियुक्त किया है, वहाँ ऐसा परिसमापक, आदेश के साठ दिनों के भीतर, न्यायाधिकरण को निम्नलिखित विवरणों वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, अर्थात्ः—

( क) कंपनी की परिसंपत्तियों की प्रकृति और उनके स्थान और मूल्य सहित विवरण, हाथ में और बैंक में नकद शेष राशि, यदि कोई हो, और कंपनी द्वारा आयोजित परक्राम्य प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, को अलग से बताते हुएःबशर्ते कि परिसंपत्तियों का मूल्यांकन इस उद्देश्य के लिए पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं से प्राप्त किया जाएगा;

/

/

( बी) जारी की गई, अभिदान की गई और भुगतान की गई पूंजी की राशि; (सी) कंपनी की मौजूदा और आकस्मिक देनदारियां, जिसमें उसके लेनदारों के नाम, पते और व्यवसाय शामिल हैं, जिसमें सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों की राशि अलग से बताई गई है, और सुरक्षित ऋणों के मामले में, प्रतिभूतियों का विवरण, चाहे वह कंपनी या उसके अधिकारी द्वारा दी गई हो, उनका मूल्य और वे तिथियां जिन पर उन्हें दिया गया था;

/

( (घ) कंपनी को देय ऋण और उन व्यक्तियों के नाम, पते और व्यवसाय जिनसे वे हैं।

/

देय राशि और उसके खाते में प्राप्त होने की संभावना;

( ङ) कंपनी द्वारा दी गई गारंटी, यदि कोई हो;

( च) उनके द्वारा देय अंशों और देय राशि, यदि कोई हो, की सूची और किसी भी अवैतनिक कॉल का विवरण;

/

( छ) कंपनी के स्वामित्व वाले ट्रेडमार्क और बौद्धिक संपदा, यदि कोई हो, का विवरण;

( ज) विद्यमान अनुबंधों, संयुक्त उद्यमों और सहयोग, यदि कोई हो, का विवरण;

/

( i) होल्डिंग और सहायक कंपनियों का विवरण, यदि कोई हो; (जे) कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ दायर कानूनी मामलों का विवरण; और

( ट) कोई अन्य जानकारी जिसे न्यायाधिकरण निर्देशित कर सकता है या कंपनी परिसमापक शामिल करना आवश्यक समझ सकता है।

/

(2) कंपनी परिसमापक अपनी रिपोर्ट में उस तरीके को शामिल करेगा जिसमें कंपनी का प्रचार या गठन किया गया था और क्या उसकी राय में कंपनी के गठन के बाद से किसी व्यक्ति द्वारा इसकी पदोन्नति या गठन में या कंपनी के किसी अधिकारी द्वारा कोई धोखाधड़ी की गई है और कोई अन्य मामले जो उसकी राय में न्यायाधिकरण के संज्ञान में लाना वांछनीय है।

/

(3) कंपनी परिसमापक कंपनी के व्यवसाय की व्यवहार्यता या उन कदमों पर भी एक रिपोर्ट बनाएगा जो उनकी राय में कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए आवश्यक हैं।

/

(4) कंपनी परिसमापक, यदि वह उचित समझता है, तो कोई और रिपोर्ट या रिपोर्ट भी दे सकता है।

(5) स्वयं को कंपनी का लेनदार या अंशदाता बताते हुए कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसके प्रतिनिधि द्वारा हर उचित समय पर इस धारा के अनुसार प्रस्तुत रिपोर्ट का निरीक्षण करने और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उसकी प्रतियां या उद्धरण लेने का हकदार होगा। "

/

/

807

ऐक्शन आई. एस. पी. ए. टी. और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

/

15. इसके बाद न्यायाधिकरण को उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करना है और एक समय सीमा तय करनी है जिसके भीतर कार्यवाही पूरी की जाएगी और कंपनी को भंग कर दिया जाएगा, किस समय सीमा को संशोधित किया जा सकता है-धारा 282 (1) देखें।16. महत्वपूर्ण रूप से, न्यायाधिकरण के आदेश पर कंपनी की संपत्तियों को कंपनी परिसमापक द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा और उन्हें न्यायिक हिरासत में माना जाएगा-धारा 283 (1) और 283 (2) देखें।

/

17. इसके बाद, न्यायाधिकरण को धारा 285 के अंतर्गत  अंशदाताओं की एक सूची का निपटारा करना है।कंपनी परिसमापक को समापन कार्यवाही की प्रगति के संबंध में न्यायाधिकरण को समय-समय पर निम्नलिखित रिपोर्ट देनी होती हैः

/

“288. न्यायाधिकरण को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।—(1) द.

कंपनी परिसमापक न्यायाधिकरण को आवधिक प्रतिवेदन देगा और किसी भी मामले में प्रत्येक तिमाही के अंत में कंपनी के समापन की प्रगति के संबंध में उस रूप और तरीके से एक प्रतिवेदन देगा जो निर्धारित किया जाए।

/

(2) न्यायाधिकरण, कंपनी परिसमापक के आवेदन पर, उसके द्वारा दिए गए आदेशों की समीक्षा कर सकता है और ऐसे संशोधन कर सकता है जो वह उचित समझे। "

18. धारा 290 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कंपनी परिसमापक की शक्तियों और कर्तव्यों को निम्नानुसार निर्धारित करती हैः

/

“290. कंपनी परिसमापक की शक्तियाँ और कर्तव्य।—

(1) न्यायाधिकरण के निर्देशों के अधीन, यदि कोई हो, तो इस संबंध में, कंपनी परिसमापक के पास न्यायाधिकरण द्वारा किसी कंपनी को समाप्त करने की शक्ति होगी -

/

( क) कम्पनी के लाभकारी समापन के लिए जहाँ तक आवश्यक हो कम्पनी के व्यवसाय को जारी रखना;

( ख) सभी कार्य करना और कंपनी के नाम और उसकी ओर से सभी विलेखों, प्राप्तियों और अन्य दस्तावेजों को निष्पादित करना और उस उद्देश्य के लिए, जब आवश्यक हो, कंपनी की मुहर का उपयोग करना;

/

( ग) सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा कंपनी की अचल और चल संपत्ति और कार्रवाई योग्य दावों को बेचना, ऐसी संपत्ति को हस्तांतरित करने की शक्ति के साथ।

/



किसी भी व्यक्ति या निगमित निकाय को, या उसे पार्सल में बेचना;

( (घ) कम्पनी के सम्पूर्ण उपक्रम को चालू संस्था के रूप में बेचना;

( ङ) कंपनी की परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर आवश्यक कोई भी धन जुटाना;

/

( च) कंपनी के नाम पर और उसकी ओर से कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही, दीवानी या आपराधिक, स्थापित करना या उसका बचाव करना;

( छ) लेनदारों, कर्मचारियों या किसी अन्य दावेदार के दावे को आमंत्रित करना और निपटाना और इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित प्राथमिकताओं के अनुसार बिक्री आय वितरित करना;

/

( ज) पंजीयक या किसी अन्य प्राधिकारी की फाइलों पर कंपनी के अभिलेख और विवरणों का निरीक्षण करना;

/

( (i) अपनी संपत्ति के विरुद्ध किसी शेष राशि के लिए किसी भी अंशदाता की दिवालियापन में पद और दावा साबित करना, और दिवालियापन में लाभांश प्राप्त करना, उस शेष राशि के संबंध

में, दिवालियापन से देय एक अलग ऋण के रूप में, और अन्य अलग-अलग लेनदारों के साथ दर से;

( जे) कंपनी के दायित्व के संबंध में कंपनी के नाम और उसकी ओर से चेक, विनिमय पत्र, हुंडी या वचन पत्र सहित किसी भी परक्राम्य लिखत को खींचना, स्वीकार करना, बनाना और समर्थन करना, जैसे कि ऐसे लिखत कंपनी द्वारा या उसकी ओर से उसके व्यवसाय के दौरान तैयार किए गए, स्वीकार किए गए, बनाए गए या समर्थन किए गए थे;

/

/

( ट) किसी भी मृत अंशदाता को उसके आधिकारिक नाम से प्रशासन के पत्र निकालना, और उसके आधिकारिक नाम पर किसी अंशदाता या उसकी संपत्ति से देय धन का भुगतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करना जो कंपनी के नाम पर आसानी से नहीं किया जा सकता है, और ऐसे सभी मामलों में, बकाया धन, कंपनी परिसमापक को प्रशासन के पत्र निकालने या धन की वसूली करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, कंपनी परिसमापक को स्वयं देय माना जाएगा; क

/

/



( एल) किसी भी व्यक्ति से कोई पेशेवर सहायता प्राप्त करना या किसी भी पेशेवर को नियुक्त करना, अपने कर्तव्यों, दायित्वों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में और कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए, कोई भी व्यवसाय करने के लिए एक एजेंट नियुक्त करना जो कंपनी परिसमापक स्वयं करने में असमर्थ है;

/

( एम) ऐसी सभी कार्रवाइयां, कदम उठाना, या किसी भी कागज, विलेख, दस्तावेज, आवेदन, याचिका, शपथपत्र , बांड या साधन पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित करना और सत्यापित करना जो आवश्यक हो-(i) कंपनी को बंद करने के लिए;

/

( (ख) परिसंपत्तियों के वितरण के लिए;

( (ग) कंपनी परिसमापक के रूप में अपने कर्तव्यों और दायित्वों और कार्यों के निर्वहन में; और

( एन) ऐसे आदेशों या निर्देशों के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन करना जो कंपनी के समापन के लिए आवश्यक हो।(2) कंपनी परिसमापक द्वारा उप-धारा (1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग न्यायाधिकरण के समग्र नियंत्रण के अधीन होगा।(3) उप-धारा (1) के प्रावधानों के बावजूद, कंपनी परिसमापक ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो न्यायाधिकरण इस संबंध में निर्दिष्ट करे। "

/

/

19. धारा 292 अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन, कंपनी परिसमापक, कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रशासन और अपने लेनदारों के बीच उनके वितरण में, किसी भी सामान्य बैठक में लेनदारों या अंशदाताओं के संकल्प द्वारा दिए जाने वाले किसी भी निर्देश को ध्यान में रखेगा-धारा 292 (1) देखें।20. यह तभी होता है जब कंपनी के मामलों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है कि धारा 302 के अंतर्गत कंपनी को भंग करने के लिए न्यायाधिकरण में एक आवेदन किया जाता है, जो यहां नीचे दिया गया है:

/

“302. न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी का विघटन।—(1) जब

/

कंपनी के कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, कंपनी परिसमापक ऐसी कंपनी को भंग करने के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन करेगा।

(2) न्यायाधिकरण कंपनी परिसमापक द्वारा उप-धारा (1) के अंतर्गत दायर एक आवेदन पर या जब न्यायाधिकरण की राय होगी

/



कि यह मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित है कि कंपनी को भंग करने का आदेश दिया जाना चाहिए, एक आदेश दें कि कंपनी को आदेश की तारीख से भंग कर दिया जाए, और कंपनी को तदनुसार भंग कर दिया जाएगा।

(3) न्यायाधिकरण, आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, -

/

( क) आदेश की एक प्रति पंजीयक को अग्रेषित करें जो कंपनी के विघटन के एक मिनट बाद कंपनी से संबंधित रजिस्टर में दर्ज करेगा; और

( ख) कंपनी परिसमापक को आदेश की एक प्रति पंजीयक को भेजने का निर्देश दें जो कंपनी के विघटन के एक मिनट बाद कंपनी से संबंधित रजिस्टर में दर्ज करेगा।“21. जहाँ किसी कंपनी को भंग कर दिया गया है, वहाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 356 के अंतर्गत इस तरह के विघटन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर इस तरह के विघटन को अलग किया जा सकता है।

/

/

22. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XX के अंतर्गत समाप्त करने की उपरोक्त योजना को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि कई चरणों पर विचार किया गया है, जिसमें न्यायाधिकरण ने समापन याचिका में कार्यवाही को नियंत्रित करने की शक्ति को स्वीकार करने के बाद भी बरकरार रखा है।इस प्रकार, एक समापन कार्यवाही में जहां याचिका को कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 26 के संदर्भ में पूर्व-प्रवेश चरण में लागू नहीं किया गया है, संहिता के आवेदन के लाभकारी परिणाम को देखते हुए, ऐसी समापन कार्यवाही अनिवार्य रूप से संहिता के अंतर्गत हल करने के लिए एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित की जा सकती है।नोटिस जारी होने और प्रवेश से पहले भी वही परिणाम सामने आएगा।हालांकि, एक समापन याचिका के स्वीकार होने के बाद और कंपनी की परिसंपत्तियों को बंद करने के बाद और कंपनी परिसमापक द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 290 इंगित करेगी कि कंपनी परिसमापक कंपनी के लाभकारी समापन के लिए, जहां तक आवश्यक हो, कंपनी का व्यवसाय कर सकता है, और यहां तक कि कंपनी को एक चालू चिंता के रूप में भी बेच सकता है।जब तक अचल या चल संपत्तियों की कोई वास्तविक बिक्री नहीं हुई है, तब तक ऐसा कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं किया जाता है जो कंपनी न्यायालय को किसी लेनदार या कार्यवाही में किसी भी पक्ष द्वारा किए गए हस्तांतरण आवेदन पर अपने हाथों को रोकने के लिए वारंट करता हो।यह केवल वहाँ है जहाँ समापन की कार्यवाही एक ऐसे स्तर पर पहुँच गई है जहाँ यह अपरिवर्तनीय होगी, जिससे घड़ी को वापस सेट करना असंभव हो जाता है कि कंपनी न्यायालय को ए के बजाय समापन के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

/

/

/

/

811

ऐक्शन आई. एस. पी. ए. टी. और पावर पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एन. सी. एल. टी. को कार्यवाही हस्तांतरित करने का निर्णय अब संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।यह चरण पूरा हो गया है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

23. वर्तमान मामले के तथ्यों में, कंपनी न्यायाधीश और खंड पीठ का समवर्ती निष्कर्ष यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि परिसमापक ने अपीलकर्ता कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और उसके कारखाने परिसर, अभिलेख और पुस्तकों पर कब्जा और नियंत्रण कर लिया है, अपीलकर्ता कंपनी को समाप्त करने की दिशा में कोई अपरिवर्तनीय कदम नहीं उठाए गए हैं।ऐसा होने के कारण, कंपनी न्यायालय ने धारा 434 (1) (सी) के 5 वें परंतुक द्वारा उसमें निहित विवेकाधिकार का सही ढंग से प्रयोग किया है।परिणामस्वरूप, 2019 की एस. एल. पी. (सिविल) No.26415 से उत्पन्न दीवानी अपील खारिज हो जाती है।

/

/

**2020** की सिविल अपील संख्या **4042-4043 (2020** की एसएलपी **(**सिविल**)** संख्या **2033-2034** से उत्पन्न**):**

इस तथ्य को देखते हुए कि मामले को उच्च न्यायालय द्वारा मामले के आवश्यक तथ्यों और परिस्थितियों को सत्यापित करने के लिए एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके बाद अपीलार्थी को इसमें राहत दी जा सकती है, हमें उपरोक्त आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।इसलिए याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

/

/

याचिकाएं खारिज

/

/

/

/